



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन , 1943 (श०)

संख्या-514 राँची, मंगलवार,

5 अक्टूबर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

23 सितम्बर, 2021

विषय:- झारखण्ड राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन संबंधी संकल्प में संशोधन के संबंध में ।

संख्या-16/प्र०सु०-02-01/2015का०-5069--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-2066, दिनांक-19.03.2020 द्वारा राज्य की प्रशासनिक प्रणाली की दक्षता में सुधार और कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक संवेदनशीलता, कार्यदक्षता तथा प्रभावकारिता में अभिवृद्धि हेतु अनुशंसा करने के लिए श्री देवाशीष गुप्ता, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, पूर्व विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है ।

2. विभागीय संकल्प संख्या-2066, दिनांक-19.03.2020 की कंडिका-6 में प्रावधानित है कि “आयोग का प्रशासनिक विभाग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची होगा। आयोग के कार्य संपादन के लिए एकमुश्त रूप में शीर्ष 205200090040108 से राशि आयोग के बैंक एकाउंट में उपलब्ध कराया जायेगा जिसका संचालन सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा ।”

3. झारखण्ड राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल अल्प अवधि का होने के कारण आयोग का कार्य संपादन के लिए बजटीय प्राक्कलन संबंधी कार्य आयोग द्वारा किया जाना अव्यवहारिक एवं असुविधाजनक प्रतीत होता है। तदनुसार यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

4. अतः उक्त संकल्प की कंडिका-6 को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“आयोग का प्रशासनिक विभाग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची होगा। आयोग के कार्य का संपादन का व्यय मांग संख्या-33, मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, लघु शीर्ष-090- सचिवालय, उप शीर्ष-04-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अंतर्गत विकलनीय होगा ।”

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक-4200, दिनांक-24.08.2021 के क्रम में दिनांक-14.09.2021 की बैठक के मद संख्या-01 में दी गयी है ।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सं०-2066, दिनांक-19.03.2020 के सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र भूषण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।
